न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2017-00265RAABarmer2017-94RTA223 Manaram Vs Megaram etc

मानाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी दूधू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मेघाराम पुत्र हरदानराम
2. सोनाराम पुत्र हरदानराम
3. बुधराम पुत्र उर्जाराम
4. रामाराम पुत्र खेताराम
5. मोहन पुत्र खेताराम
6. राजू पुत्र पनाराम
7. मगाराम पुत्र पनाराम
8. मुकेश पुत्र पनाराम
9. मोटाराम पुत्र पनाराम
10. श्रीमती दमी पत्नी पन्नाराम
11. श्रीमती दमली पुत्री जेठाराम
12. श्रीमती धर्मी पत्नी राउराम
13. श्रीमती लाछी पत्नी मानाराम
14. श्रीमती वनू पत्नी दूदाराम
    जाति जाट निवासी दूधू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
15. श्रीमती किस्तुरी देवी पत्नी फगलूराम जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
16. उम्मेदाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी खूमे की बेरी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
17. मैनेजर थार ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना
18. तहसीलदार गुड़ामालानी / धोरीमना

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 अप्रैल 2013 सहायक
कलक्टर गुडामालानी राजस्व मूल वाद संख्या 204/2011
मेघाराम बनाम सोनाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 16

नि र्ण य

दिनांक : 20 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 204/2011 अनवान मेघाराम बनाम सोनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 अप्रैल 2013 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 जुलाई 2017 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 412 रकबा 148.16 बीघा मौजा दुधू, खसरा नम्बर 170, 175, 187, 191, 551 व 553 कुल रकबा 110.09 बीघा मौजा औकातिया तला व खसरा नम्बर 536 रकबा 51 बीघा, खसरा नम्बर 634 व 634/2 कुल रकबा 87.04 बीघा मौजा सुनारों की ढाणिया वर्तमान मौजा एकलव्य नगर पटवार क्षेत्र दुधू तहसील गुडामालानी हाल तहसील धोरीमन्ना में आये हुऐ है, जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 से 9 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 (अपीलान्ट) का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने खसरा नम्बर 536 में अपना समग्र 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 को तथा खसरा नम्बर 634 व 634/2 कुल रकबा 87.04 बीघा में अपने 1/12 हिस्से में से 19/1308 हिस्सा का बेचान कर दिया है। वादी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार हिस्से नहीं खुल्ले हुऐ है तथा भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा किया हुआ नहीं है, इसलिये पक्षकार के मध्य वादग्रस्त भूमि हिस्से व कब्जा काश्त को लेकर तनाजा बना रहता है, वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा करवाकर भूमि को बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज कर उतरदाता–प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु सहमति प्रदान करते हुऐ अपने 1/8 हिस्सा अलग करने प्रतिदावा (काउन्टर क्लेम) पेश किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 17 किस्तुरी ने आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदन पेश कर पक्षकार बनी तथा प्रतिवादी संख्या 17 ने भी अपने हिस्से का बंटवाडा करवाने हेतु प्रतिदावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पो. संख्या एक का वाद, अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 10 व उतरदाता संख्या 15/प्रतिवादी संख्या 17 का प्रतिदावा स्वीकार करते हुऐ वादी को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा घोषित करते हुऐ दिनांक 09.01.2013 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गुड़ामालानी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22 अप्रैल 2013 पारित किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर न जाकर अपने अधिकार हल्का पटवारी व आर

राजस्व अपील प्राधिकारी

आई को प्रदान कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिया गया, जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभाजन के जो नियम बनाये है, उनके अनुसार विभाजन का प्रस्ताव भूमिधारक स्वयं द्वारा मौके पर जाकर ऐसे विभाजन प्रस्ताव को तैयार करने का दिन निश्चित कर वाद/प्रकरण के पक्षकारों/सहखातेदारों को लिखित सूचना इस आशय की देगा कि उक्त कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्स बंटवाडा तकासमा किया जाना है, जिस हेतु आप सभी सहखातेदार अमुक तारीख को उपस्थित रहे, जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक ही जगह बैठकर कागजी कार्यवाही कर बिना अपीलकर्ता को सूचना दिये ही पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है, जबकि हल्का पटवारी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार नहीं किया गया, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी, प्रतिवादी संख्या 10 व 17 के हिस्से घोषित किये गये तथा तहसीलदार गुडामालानी को इसी अनुसार माफिक कब्जा काश्त पक्षकारान के हिस्से की भूमि पृथक कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था, परन्तु तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया, जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर जाये बिना ही उतरदाता संख्या 15 किस्तुरी के दबाव में रहते हुऐ विभाजन प्रस्ताव अकेली उतरदाता संख्या 15 का ही तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव भी उतरदाता संख्या 15 के मौके पर स्थित कब्जे काश्त के अनुसार तैयार नहीं कर अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि उतरदाता संख्या 15 के हिस्से में रखते हुऐ तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट व उतरदातागण के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से किये गये बाहामी बंटवाडे को नजर अन्दाज करते हुऐ राजस्व कर्मचारियों ने उतरदातागण के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर गये बिना ही राजस्व कर्मचारियों ने अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 15 के दबाव में रहते हुऐ उसके कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, जिस सबंध में अपीलान्ट को कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान भी नहीं है, मात्र उतरदाता किस्तुरी व उसके चहेते व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है, जिससे भी साबित है किउक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर गये बिना ही हल्का पटवारी अपनी उतरदाता संख्या 15 के दबाव में रहते हुऐ तैयार करवाया गया है, जो विभाजन प्रस्ताव निष्पक्ष नहीं होकर एकपक्षीय व पक्षपात पूर्ण तरीके से तैयार करवाया गया है जो कतई मानने कोई नहीं है तथा उक्त एकपक्षीय रूप से तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री व निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलान्ट को पूर्व में गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार गलत तरमीम करने के बारे में जानकारी नहीं थी, परन्तु बरसात की ऋतु में अपीलान्ट अपने बाहामी बंटवाडे के अनुसार भूमि पर काश्त करने लगा तो उतरदातागण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ने कहा कि इस वर्ष हम भूमि विधिवत बंटवाडे के अनुसार काबिज होकर काश्त करेंगे तथा आपको पुराना कब्जा व ढाणी खाली करनी पड़ेगी तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा नहीं होकर उसके विपरित है। जिस पर अपीलान्ट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल मांगी जो तैयार होकर दिनांक 21.06.2017 को प्राप्त हुई, जिस पर अपीलान्ट को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 204/2011 अनवान मेघाराम बनाम सोनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 अप्रैल 2013 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश जारी किये जावे कि विचारण न्यायालय तहसीलदार से उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा विचारण न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में पुनः विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट सहित सभी पक्षकारान को सम्यक रूप से सूचित किया गया है तथा अपीलांट वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी मौके पर उपस्थित रहा है तथा अपीलांट एवं वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने से इंकार किया गया था। अपीलांट के इंकार किये जाने पर तहसीलदार द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए अपीलांट के हिस्से को सामलाती रखते हुए केवल प्रतिवादी संख्या 17 के हिस्से का ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की राजस्व रेकर्ड में पालना होकर खाते अलग हो चुके है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट उम्मेदाराम द्वारा दिनांक 02.05.2026 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने पर मौके पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार भूमि सही पायी गई तथा मौके पर पक्षकारान् की सहमति से पत्थर रोपे गये है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेश की गई है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नही बतलाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.03.2013 के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त तहसीलदार एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी

भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पक्षकारान् को मौके पर बुलाय जाने पर वादी मेगाराम एवं अपीलांट मानाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाये जाने से इंकार किये जाने पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा केवल रेस्पोडेंट संख्या 17 की भूमि का ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति में मौके के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संबंध में रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 02.05.2026 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट उम्मेदाराम द्वारा अपनी पृथक से तरमीमसुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने पर खातेदारान् की सहमति से मौके पर पत्थर रोपे गये है, जिससे यह साबित है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके अनुसार ही तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा इतनी लंबी अवधि बाद बिना कोई संतोषजनक कारण बतलाये हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेश की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील काल–वर्जित भी पायी जाती है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री गुणावगुण पर विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 204/2011 अनवान मेघाराम बनाम सोनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 अप्रैल 2013 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर